



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

(E-mail:-rj-slsa.nic.in, rslsajp@gmail.com)

Website:-www.rlsa.gov.in)

क्रमांक:-एफ-7(76)संस्था-पी.एल.ए.गठन/रालसा/2018/16777


दिनांक: 12/7/18

शुद्धि पत्र

राजस्थान प्रदेश में जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय बालोतरा, चुरु, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ, झालावाड, मेडता, प्रतापगढ एवं सिरोही (कुल 09) में संस्थापित स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष (सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश) पर नियुक्ति के क्रम में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर कार्यालय से जारी विज्ञप्ति क्रमांक एफ-7(76)संस्था-पी.एल.ए.गठन/रालसा/2018/14991 दिनांक 05.07.2018 में पात्रता के संबंध में दर्शित बिन्दु 1 ख में अंकित शर्त "जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 31.12.2018 तक सेवा निवृत्त होने वाले हैं" को शुद्धि पत्र क्रमांक 16368 दिनांक 10.07.2018 से विलोपित किया गया है। अब इस शुद्धि पत्र के द्वारा उक्त विज्ञप्ति की पात्रता की शर्त 1 ख को निम्नप्रकार पढ़ा जावे :-

जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 30.06.2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

आज्ञा से,




सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

क्रमांक:-एफ-7(76)संस्था-पी.एल.ए.गठन/रालसा/2018/16778-16864 दिनांक: 12/7/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
3. निजी सचिव, जज इंचार्ज, मीडियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. श्रीमान सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शुद्धि पत्र को जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
8. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शुद्धि पत्र को जिला कलेक्टर एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
9. संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
10. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
11. उप सचिव, प्रथम/उप सचिव, द्वितीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
12. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शुद्धि पत्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
13. उप सचिव, एक्शन प्लान एण्ड एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर उक्त शुद्धि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
14. उप सचिव, प्रशासन (गैर न्यायिक)/सहायक लेखाधिकारी-1/प्रशासनिक अधिकारी, रालसा जयपुर।
15. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
16. आदेश/संबंधित/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त सचिव